प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।
ई–मेलः– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः– 1113 /ग्रा0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0 /2023–24, दिनांकः– 04/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–पिण्डारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से कॉफली–कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई–11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या–FP/ UK/ ROAD/13065/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी0/यू0सी0सी0/06/252/2016/एफ0सी0/1588, दिनांक 11.10.2019

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट– पिण्डारी–ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 11 से कॉफली–कमेड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई–11.250 किमी0) निर्माण हेतु 6.287 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्यॉ प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.547 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते यथासंशोधित) रू0 53,12,515.00 (तिरेपन लाख बारह हजार पॉच सौ पन्द्रह) मात्र ऑनलाईन जमा कर दी गई है। धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नकः–01)** उक्त सिविल भूमि को जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नकः–02)**
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ली गयी वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न, **(संलग्नकः–03)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 38,46,044.00 (अणतीस लाख छियालिस हजार चौवालिस रू0 मात्र) 12.547 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नकः–04)**

DK

Scanned with OKEN Scanner

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नकः– 05)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा कर दिये गये है। प्रति संलग्न, **(संलग्नकः–06)**
6	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–15)**
7	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–07)**
8	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी दरों पर एन0पी0वी0 देने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–08)**
9	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.50 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.50 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करा दिया गया है। प्रति संलग्न, **(संलग्नकः–09)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–10)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर **Forward** एवं **Bearing** अंकित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर **Forward** एवं **Bearing** अंकित किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–11)**
12	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–12)**
13	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।**(संलग्नकः–13)**

Scanned with OKEN Scanner

14	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–14)**
15	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 291 से अधिक न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया गया है, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 291 से अधिक नहीं है।
16	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–15)**
17	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–16)**
18	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–17)**
19	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे। उन शर्तो का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नकः–18)**

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार 04–04 प्रति में।**

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

Scanned with OKEN Scanner